14.03.2023

म0प्र0 राज्य द्वारा ए डी पी ओ।

आवेदक/सूचनाकर्ता सुनील की ओर से अधिवक्ता श्री के0के शर्मा अधि0 उप0।

अभियुक्तगण द्वारा श्री मोहन रघुवंशी अधि. उपस्थित।

प्रकरण आवेदन के जवाब हेतु नियत है।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन रघुवंशी द्वारा उक्त ओवदन का जवाब न देना व्यक्त किया गया।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।

इस आदेश के द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत 323 द0प्र0सं0 1973 जो कि विद्वान श्री के0के0 शर्मा के द्वारा काउंटर केस के माननीय सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय होने के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरोपीगण मनमोहन की रिपोर्ट पर फरियादी एवं उसके साथियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 74/2022 धारा 341,294,323,506,34 भा0द0वि0 दर्ज किया गया, जिसमें धारा 326 भा0द0वि0 का इजाफा किया गया जो माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका सत्र प्रकरण क्रमांक 34/22 है जो दिनांक 14.03.2019 को नियत है। हस्तगत प्रकरण क्रमांक 323/22 में आरोपीगण उपस्थित हो चुके हैं दोनों प्रकरण एक ही दिनांक स्थान एवं समय के है इस कारण वैधानिक रूप से एक ही न्यायालय चलना चाहिये। अतः इस प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण हेतु अंतरित किये जाने का निवेदन किया गया।

वर्तमान में अभियुक्तगण की उपस्थिति इस प्रकरण में हो चुकी है।

आवेदन तथा आवेदन के समर्थन में दस्तावेज मूल अभिलेख का परिशीलन किये जाने से प्रकट होता है कि आरक्षी केंद्र पिपरिया के अपराध क्रमांक 75/2022 के बुनियाद पर यह अपराधिक प्रकरण संबंधित आरक्षी केंद्र के द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरांत मेरे समक्ष विचाराधीन है।

आवेदन अनुसार अभिलेख का परिशीलन करने

से यह प्रकट होता है कि अपराध क्रमांक 74/2022 एवं 75/2022 एक ही दिनांक के एवं लगभग एक ही समय का है तथा हस्तगत प्रकरण का पीड़ित /आवेदक, प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमाक 74/2022 में अभियुक्त है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि काउंटर केस में धारा 326 भा0द0सं0 का मामला अभियोजित है, जो माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में विचाराधीन है और हस्तगत प्रकरण अपराध क्रमांक 74/2022 का कांटर प्रकरण है। अतः काउंटर प्रकरण एक ही न्यायालय में विचारण किये जाने के विधिक उपबंध है।

अस्तु प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण धारा 323 द0प्रस0 को सुपुर्द/उपार्पित किया जाता है।

उर्पापण की सूचना सहायक लोक अभियोजक पिपरिया एवं नायब नाजिर पिपरिया को भेजी जावे।

अभियुक्तगण जमानत पर है। अतः अभियुक्तगण को निर्देशित किया गया कि वह माननीय सेशन न्यायालय के समक्ष दिनांक को उपस्थित रहे।

निष्पादन लिपिक प्रकरण को व्यवस्थित कर दिनांक **29.03.2023** के पूर्व माननीय सेशन न्यायालय की ओर प्रेषित करें।

अभियुक्त का धारा 428 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभिरक्षा प्रमाण–पत्र बनाकर प्रकरण के साथ संलग्न करें।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर, संपूर्ण प्रकरण, नियत दिनांक 29.03.2023 के पूर्व माननीय सेशन न्यायाधीश, महोदय, नर्मदापुरम म0प्र0 को भेजी जावे।

(कुसुमहर चक्रवर्ती)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
पिपरिया जिला नर्मदापुरम